न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 66/2025

प्रार्थी–	*बनाम*	अप्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये खेमाराम, प्रवर्तन अधिकारी, जिला बाड़मेर		अज्ञात व्यक्तियों

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी अज्ञात।

आदेश

दिनांक : 07.10.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 24.01.2021 को पुलिस चौकी भाडखा पुलिस थाना बाड़मेर ग्रामीण द्वारा टैंकर टाटा 407 में कथित बायोडीजल/मिलावटी डीजल से भरे टैंकर के संबंध में संबंधित आपराधिक मुकदमें में पुलिस अनुसंधान की प्रगति ज्ञात करने के साथ ही प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अथवा आयुक्त परिवहन विभाग जयपुर से जब्तसुदा वाहन के स्वामित्व के संबंध मे जानकारी प्राप्त कर वाहन के स्वामी अथवा परिवहन के समय परिचालन करने वाले व्यक्ति का पता ज्ञात करने के संबंध में प्राप्त निर्देशों के क्रम में इस कार्यालय द्वारा जिला परिवहन अधिकारी, बाड़मेर से रिपोर्ट चाही गई, जिसके क्रम में जिला परिवहन अधिकारी बाड़मेर के राजकाज पत्रांक 9637699 दिनांक 07.08.2024 द्वारा अज्ञात वाहन का भौतिक सत्यापन श्री भूपेन्द्र, परिवहन निरीक्षक से करवाया गया, जिसके

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 13:08:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

भाडखा चौकी से मिनी टैंकर टाटा 407 का भौतिक सत्यापन किया गया, वाहन के चैसिस नम्बर कूट रचित तरीके से घिस कर मिटा दिये गये है तथा वाहन पर पाए गये इंजिन नम्बर प्लेट पर भी जो नम्बर पाए गए है उसे भी वाहन मालिक का पता नहीं लगाया जा सकता है। इस संबंध में थानाधिकारी पुलिस थाना बाड़मेर ग्रामीण के पत्रांक 3565 दिनांक 01.01.2025 द्वारा अवगत करवाया गया है कि उक्त प्रकरण में मुलजिमानों का कोई सुराग नहीं चलने से प्रकरण हाजा में नतीजा एफ आर अदम पता (मुलजिम) में प्राप्त किया जाकर प्रकरण में एफ आर लगायी जा चुकी है। साथ ही अज्ञात वाहन के मालिक द्वारा न तो श्रीमान के कार्यालय एवं पुलिस चौकी भाडखा, पुलिस थाना बाड़मेर ग्रामीण एवं अन्य किसी भी सरकारी कार्यालय में वाहन प्राप्त करने अथवा वाहन के संबंध में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। इससे यह ज्ञात होता है कि अज्ञात वाहन मालिक द्वारा उक्त अज्ञात वाहन को अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ परिवहन कार्य करने के लिए ही काम मे लिया जा रहा था।

2. प्रार्थना–पत्र का संक्षिप्त तथ्य है यह है कि दिनांक 24.01.2021 को पुलिस चौकी भाडखा पुलिस थाना बाड़मेर ग्रामीण द्वारा मिनी टैंकर टाटा 407 में कथित बायोडीजन / मिलावटी डीजल से भरे हुए टैंकर की श्री हरलाल मीणा, प्रवर्तन अधिकारी बाड़मेर द्वारा 24.01.2021 द्वारा पुलिस चौकी भाड़खा मे जाकर मौका जांच करने पर मिनी टैंकर टाटा 407 जिस पर टंकी लगी हुई थी, मिलावटी पैट्रोलियम भरा होना पाया। मौके पर पुलिस चौकी भाड़खा मे श्री प्रेम कुमार सहायक उप निरीक्षक व श्री किशनलाल कांनिस्टेबल द्वारा बताया कि दिनांक 24.01.2021 को बाड़मेर ग्रामीण थाना से गस्त दौरान उक्त मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ से भरी हुई टंकी लगी हुई मिनी टैंकर भाडखा की तरफ से आ रहा था तथा पुलिस चौकी के आगे नाकाबंदी की गई, परन्तु उक्त मिनी टैंकर के ड्राइवर द्वारा नाकाबंदी तोड़ते हुए आगे निकल कर सड़क किनारे उक्त टैंकर को खड़ा करके भाग गया। उक्त मिनी टैंकर को चैक करने पर किसी प्रकार के वैद्य दस्तावेज नहीं मिले तथा

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 13:08:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

टंकी को चैक करने पर तरल पदार्थ बायोडीजल जैसा प्रतीत होना पाया। प्रकरण में बिना लाईसेंस/परमिट के उक्त बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ अपने कब्जे में रखना, परिवहन करना तथा विक्रय करना मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का उल्लंघन करना पाये जाने से अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रमाणित है। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन एवं उसमें भरे पेट्रोलियम पदार्थ के मालिकाना हक बाबत समाचार पत्र में नोटिस जारी किया गया किन्तु बाद गुजरने मयाद किसी व्यक्ति द्वारा दावा नहीं किया गया लिहाजा अप्रार्थी (अज्ञात) के विरूद्ध यह इस्तगासा पेश कर निवेदन है कि प्रकरण हाजा मय जब्तशुदा 2486 लीटर बायोडीजल व जब्तशुदा वाहन मिनी टैंकर टाटा का नियमानुसार निस्तारण किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर किया गया। अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध एकपक्षीय सुनवाई कर प्रस्तुत अभिलेखों एवं रिपोर्ट के आधार पर अंतिम बहस सुनी गई।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर बिना लाईसेंस/परमिट के उक्त बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ अपने कब्जे में रखना, परिवहन करना तथा विक्रय करना मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का उल्लंघन करना पाये जाने से अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रमाणित है। अप्रार्थी (अज्ञात) को दौरान जांच जिला रसद अधिकारी द्वारा जरिये समाचार पत्र नोटिस सूचना दिये जाने के बावजूद किसी व्यक्ति द्वारा पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही उपस्थित होकर प्रतिवाद किया है। ऐसे में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरित एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 13:08:46 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

सीजशुदा 2486 लीटर बायोडीजल व जब्तशुदा वाहन मिनी टैंकर टाटा राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद है।

5. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के कब्जे मे आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तद्धीन बनाये गये मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के उल्लंघन मे पाये गये 2486 लीटर बायोडीजल व जब्तशुदा वाहन मिनी टैंकर टाटा राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राजसात किये गये 2486 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ व जब्तशुदा वाहन मिनी टैंकर टाटा का सार्वजनिक नीलामी द्वारा निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष मे जमा कराने की कार्यवाही करें। इस आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी बाड़मेर के साथ–साथ थानाधिकारी पुलिस थाना बाड़मेर ग्रामीण को सूचनार्थ एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

6. आदेश आज दिनांक 07.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.02.03 13:08:46 IST
Reason: SelfAttested